

enakeel

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

क्रमांक :- प.10(41)आयु./2021

जयपुर, दिनांक :- 08.03.2022

—: आदेश —:

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1(6)वित्त/नियम/1998 दिनांक 24.05.2004 के प्रावधानों के अनुसरण में 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक होम्योपैथिक विभागान्तर्गत निम्न वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड- / होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी मय पिता-पति	पद नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि (सेवापंजिका के अनुसार)	सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमति आभा मित्तल / सुरेश मित्तल	वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-1	राजकीय होम्योपैथिक "अ" श्रेणी चिकित्सालय, जॉसगंज जिला अजमेर	01.09.1962	31.08.2022
2	श्रीमति रीटा गुप्ता / गौरी शंकर गुप्ता	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, [PHC] भगतसिंह चोक, हनुमानगढ जंक्शन, हनुमानगढ	07.12.1962	31.12.2022
3	श्री प्रदीप कुमार मिश्रा / शिव कुमार मिश्रा	उप निदेशक (होम्योपैथी)	निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग जयपुर	31.12.1962	31.12.2022
4	श्री मधुरेश शरण शर्मा / गोपेश शरण शर्मा	वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-1	राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, विधानसभा, जयपुर	30.01.1963	31.01.2023

प्रमाण पत्र

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,
एस.डी.
(आर.एन.शर्मा)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर-26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:- प्रति-1/ हो.चि./से.नि./2017/1758-60

दिनांक:- 11-3-22

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, आयुष विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आदेश क्रमांक प.10(41)आयु./2021 जयपुर दिनांक 08.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान- जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग, जयपुर।